

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

(शासकीय स्वशासी संस्था) महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

कार्यालय दूरभाष नंबर :- 0731-2527383, 2527679

फैक्स नंबर :- 0731-2514628

ईमेल :- deanlibrary@gmail.com

वेबसाईट :- www.mgmmcindore.in

क्रमांक / 6928 / स्था / स्वशासी / 2022

इन्दौर ,दि. 5/5/22

// कार्यालय आदेश //

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-06/2018/1-55 भोपाल दिनांक 07.04.2018 द्वारा म.गों.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर में स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018 एवं संचालनालय चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 6066/स्था/राज/2018 भोपाल दिनांक 30.11.2018 द्वारा प्राप्त परिचारिका संवर्ग की अनुसूचियों के आधार पर स्कूल आफ एक्सीलेंस फॉर आई, इन्दौर के स्टाफ नर्स के संविदा हेतु आरक्षित रिक्त पदों पर एम.पी. आनलाईन के माध्यम से जारी विज्ञापन के उपरांत एम.पी.ऑनलाईन द्वारा प्रेषित मेरिट लिस्ट के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की सेवाएं स्कूल आफ एक्सीलेंस फॉर आई, इन्दौर में स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर की जाना है। अतः निम्नलिखित अभ्यर्थियों को स्टाफ नर्स (स्वशासी) के पद पर अनन्तिम रूप से म.प्र. स्वशासी स्कूल आफ एक्सीलेंस फॉर आई, इन्दौर के चिकित्सकीय आदर्श सेवा नियम-2018 के तहत वेतनमान रु. 28700-91300 सातवे वेतनमान अनुसार (5200-20200+2800 छठवा वेतनमान) कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक स्कूल आफ एक्सीलेंस फॉर आई, इन्दौर में नियुक्ति प्रदान की जाती है

Sr. No	Name	Age /sex	Father/Husband name	C Mobile	Category	Selection category
1	DEEPA BARAI	32Y F/FEMALE	NC BARAI	8359880533	OBC (NON CREAMY LAYER)	OBC(NON CREAMY LAYER)

आपकी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

1. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-46/99/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 07 नवम्बर 2000 में दिये निर्देशों के तहत अनारक्षित (ओपन) पदों पर चयन हेतु निर्धारित मापदण्ड के तहत आरक्षित वर्ग के वे ही आवेदक ऐसे ओपन पदों पर चयनित किये गये हैं जो कि हर प्रकार से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के समान ही बिना किसी रियायत के योग्यता प्राप्त किये हों किसी प्रकार की रियायत को प्राप्त किये बिना तथा मेरिट में आने पर ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का चयन मेरिट गुणानुक्रम के आधार पर अनारक्षित पदों पर किया गया है।
2. यह नियुक्ति अपिव आरक्षण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं के निर्णय के अधीन रहेगी।
3. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अथवा कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल पश्चात् जिला चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होकर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा एवं स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) तथा म.प्र. शासन के अन्य नियम लागू होंगे।
5. म.प्र.शासन वित्त विभाग की अधिसूचना कं.एफ-9/3/2005/नियम/चार, दि. 02.04.05 के अनुसार आप पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना कं. एफ-5/1/2005/नियम/चार,दि. 02.04.05 के अनुसार म.प्र. सामान्य भविष्य निधि नियम भी लागू नहीं होंगे।

- की अधिसूचना कं. एफ-5/1/2005/नियम/चार.दि. 02.04.05 के अनुसार म.प्र. सामान्य भविष्य निधि नियम भी लागू नहीं होंगे।
6. चयनित प्रत्याशी को आदेश जारी होने के दिनांक से अधिकतम 15 दिवस में अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करना होगा। कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में अनुबंध अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जावेगी।
 7. आपकी सेवायें किसी भी समय नियोक्ता द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी।
 8. म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप कमांक सी 3 -13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये निर्देशानुसार इन्हे तीन वर्ष की परीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष 90% राशि स्टापेंड के रूप में देय होगी। परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।
 9. आपके द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण-पत्र/अभिलेख गलत पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
 10. आपकी वरिष्ठता संस्था की वरिष्ठता कमानुसार ही रहेगी।
 11. इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/जनजाति/अपिब/महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है।
 12. आपकी नियुक्ति इस स्वशासी संस्था के सेवा शर्तों के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
 13. एक बार इस संस्था में नियुक्ति होने के पश्चात् आपकी सेवाएँ अन्य संस्थाओं को स्थानांतरित नहीं होगी।
 14. उपस्थिति दिनांक को संपूर्ण प्रमाण-पत्र, उपाधियों एवं अन्य प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ जमा करना होगी तथा मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करना होगी।
 15. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय संलग्न प्रारूप में 100 रु. के स्टांप पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 16. संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनैतिक अथवा किसी भी अवैध गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
 17. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय अथवा उपस्थित दिनांक के 3 माह के भीतर महाकौशल नर्सस रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा आपकी सेवायें स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।
 18. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वैरिफिकेशन में उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही मान्य होगी।
 19. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हडताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
 20. शासन द्वारा समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्तों में परिवर्तन किये जा सकते हैं। यह परिवर्तन वेतन संबंधी शर्तों में भी हो सकता है।
 21. भविष्य में यदि कभी भी अर्हता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेगी।
 22. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय जन्मतिथि बाबद प्रमाण -पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण-पत्र, की छायाप्रति एवं अन्य वांछित प्रमाण-पत्र, दो सेवा पुस्तिका तथा रु.3/- का ट्रेजरी चालान प्रस्तुत करना होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
 म.गां.स्मृ.चिकि.महावि.एवं सम्बद्ध
 चिकित्सालय,
 (स्वशासी संस्था), इन्दौर